

## संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

### हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 306/19 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता आशा देवी पत्नी श्रीराम निवासी जिगिना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 02-08-2019 को अभियुक्त द्वारा वादिनी की पुत्री के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था जिससे मृतका गम्भीर रूप से घायल हो गई थी तथा इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई। इस पर वादिनी द्वारा दिनांक 03-08-2019 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें धनघटा पुलिस द्वारा आज दिनांक 14-10-2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### मारपीट कर गर्भपात कारित करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 213/19 धारा 323/504/313 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता रामकेश यादव पुत्र राजबहादुर यादव निवासी कानापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनांक 02-05-2019 को अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को मारा पीटा गया जिससे उसका गर्भपात हो गया, जिस पर वादी द्वारा दिनांक 04-06-2019 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें थाना बखिरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 14-10-2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### चोरी के पशुओं के साथ चोर गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 439/19 धारा 379/411 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता पिन्टू पुत्र रामधनी निवासी भीटीरावत (भरपुरवा) थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को चोरी के 02 राशि भस्त्रों व एक राशि पड़िया के साथ गिरफ्तार किया गया।

### वारण्टी

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता सुभाषचन्द्र पुत्र उदयरज निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

## पी०रवी ०फ द डे

**पी०रवी 1486 ने विवाद को कराया शान्त** – पीआरवी 1486 को थाना दुधारा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 00911 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में मौके पर पहुंचकर हो रहे विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को पकड़कर विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर एक बड़ी घटना घटित होने से रोका गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

**पी०रवी स्टाफ-** मुख्य आरक्षी रामचन्द्र सिंह, आरक्षी विनोद कुमार भारती, हो०चा० बृजेश यादव।

### **मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 30 वाहनो से 25800 रु० सम्मन शुल्क वसूल**

आज दिनांक 14-10-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 30 वाहनो से 25800 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

### **एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही**

आज दिनांक 14-10-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 14 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 42 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें से मनचले व शोहदे किस्म के लड़कों से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गई कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वृत्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी।